झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) राँची–03–10 / 2016 .... / राँची, दिनांक : ....

आदेश

श्री शैलेन्द्र कुमार मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, सं०–01, चक्रधरपुर, जिला–चाईबासा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फलस्वरूप उन्हें विभागीय आदेश सं०–96 दिनांक– 09.01.2017 द्वारा झारखण्ड सेवा संहिता के नियम–99 के तहत् दिनांक– 17.12.2016 के प्रभाव से निलंबित किया गया था।

2. न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् ये दिनांक– 17.07.2017 को विभाग में योगदान समर्पित किये। श्री मंडल द्वारा किया गया अपराध संगीन है एवं इनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी जा चुकी है। अतएव, सम्यक् समीक्षोपरान्त इन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम–100 के तहत् दिनांक– 17.07.2017 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री मण्डल, कार्यपालक अभियंता का मुख्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल भवन, डोरण्डा, राँची का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री मण्डल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5 उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : ....4703.... राँची / दिनांक ....06-11-17....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०), हिनू, राँची / कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा / कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची / उप सचिव (प्र०) प्रशाखा–1), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, जल भवन, डोरण्डा, राँची / श्री शैलेन्द्र कुमार मण्डल, वर्त्तमान पता–फ्लैट सं०–202, लव अपार्टमेन्ट रोड नं०–02, हवाई नगर थाना–जगन्नाथपुर, जिला– राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.11.17

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
झारखण्ड, राँची।

D:\MINZ\Letter\Order\08_J.S (N) _Ranchi._03_10_2016_(Shailendra K. Mandal).docx 1